न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : मोहन सिंह, RAS

पत्रावली संख्या : **17/19(प्रा0पत्र)**

अनवान्

1. श्री भेरूलाल पिता लखमीचन्द पालीवाल निवासी चंगेडी तह.मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री देवराम पिता जयकिशन पालीवाल निवासी चंगेडी तह.मावली।
2. श्री चान्दमल पिता जयकिशन पालीवाल निवासी चंगेडी तह.मावली।
3. श्री मांगीलाल पिता जयचन्द जाट निवासी चंगेडी तह.मावली।
4. पटवारी पटवार हल्का चंगेडी तह.मावली।
5. उप पंजीयन सनवाड, तहसील मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री शंकर लाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।

2. श्री ओमप्रकाश डांगी अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 से 3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक :– 15.07.2019

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा भाण्डावास, पटवार हल्का चंगेडी, तह. मावली में की आराजी सं. 2807, 2808, 2809, 2810 किता 4 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी व सोहनलाल, नारायणलाल, लक्ष्मीबाई तथा राजू, कमलेश व अनिता के पिता के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा तथा विपक्षी सं. 1, 2 के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। एवं आ.न. 1963 से 1973, 2603, 2605, 2611, 2614,2615, 2620, 2623, 2624, 2630, 2633, 2636, 2637, 2638, 2639, 2641 किता 26 रकबा 49 बीघा 6 बिस्वा भूमि रेकार्ड में प्रार्थी व सोहनलाल, नारायणलाल, लक्ष्मीबाई, तथा, राजू, कमलेश व अनिता के पिता के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा तथा विपक्षी सं. 1, 2 के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।
2. प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी व विपक्षीगणों की मौरूसी जायदाद होकर प्रार्थी व विपक्षीगण उक्त आराजीयात पर संयुक्त रूप से अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात विधिक बंटवाडा मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर नहीं हुआ हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का 1/10 हिस्सा तथा विपक्षी सं. 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा सोहनलाल का 1/10 हिस्सा, नारायणलाल का 1/10 हिस्सा, श्रीमती लक्ष्मीबाई का 1/10 हिस्सा तथा राजु, कमलेश व अनिता का 1/10 हिस्सा होकर उक्त हिस्सेनुसार प्रार्थी व

विपक्षीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर अपने अपने हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे हैं।

3. प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य विधिक बंटवाडा मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर नहीं होने से प्रार्थी को अपने हिस्से की आराजीयात का आवादान करने तथा अपने हिस्सें की आराजीयात पर चार दिवारी बनाने व अपने हिस्से पर ऋण आदि लेने में काफी असुविधाओं का सामना करना पड रहा है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी व विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य में होने से विपक्षीगण प्रार्थी से आए दिन लडाई झगडा करते हैं इसलिए प्रार्थी व विपक्षीगणों का उक्त आराजीयात में संयुक्त रूप से खेती करना असम्भव हैं इसलिए प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का बंटवाडा प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य अपने अपने हिस्से अनुसार विधिक बंटवाडा मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर कराया जाना आवश्यक हैं। इसलिए बंटवाडे का वाद आप न्यायालय में पेश कर दिया हैं।
4. प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी व विपक्षीगणों के संयुक्त खातेदारी की होने से विपक्षी सं. 1 व 2 ने उक्त आराजीयात का बिना बंटवाडा कराए विपक्षी सं. 3 के पक्ष में दिनांक 27.05.2019 को नुमाईशी विक्रय पत्र लिख नुमाईशी विक्रय पत्र की रजिस्ट्री करा दी हैं जो प्रार्थी के मुकाबले बैअसर व शून्य हैं क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी व विपक्षी सं. 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा उक्त आराजीयात का जब तक बंटवाडा नहीं हो जाता तब तक विपक्षी सं. 1 व 2 को विपक्षी सं. 3 या अन्य व्यक्ति को विक्रय हस्तान्तरण करने का कोई हक व अधिकार नहीं हैं, न विपक्षी सं. 1 व 2 बिना बंटवाडा कराए विपक्षी सं. 3 को उक्त आराजीयात का कब्जा ही सिपुर्द कर सकते है, न विपक्षी सं. 3 ने विपक्षी सं. 1 व 2 से कोई कब्जा ही प्राप्त किया है तथा विपक्षी सं. 3 नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थी को अपने हिस्से की आराजीयात से बेदखल करने पर उतारू है इसलिए विपक्षीगणों के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराना आवश्यक हो गया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात को बिना बंटवाडा कराए किसी विशेष भू–भाग की भूमि को विक्रय हस्तान्तरण नहीं करे, न खुर्द–बुर्द करे, न विपक्षी सं. 1 व 2 विपक्षी सं. 3 को बिना बंटवाडा कराए उक्त आराजीयात का कब्जा सिपूर्द करें, न प्रार्थी को अपने हिस्से की आराजीयात से बेदखल करें, प्रार्थी को अपने हिस्से की आराजीयात का शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवें प्रार्थी को अपने कब्जे काश्त की आराजीयात में फसल लेने व फसल बोने में कोई रूकावट पैदा नहीं करे, तथा अजनबी व्यक्ति को बिना बंटवाडा कराए कब्जा सिपूर्द नहीं करें, विपक्षी सं. 3 स्ट्रेजर प्रचेजर है जो प्रार्थी को अपनी आराजीयात से बेदखल नहीं करें, उक्त कार्य विपक्षीगण न तो स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से करावें। मौके व रिकार्ड की यथावत् स्थिति बनाए रखें।
5. विपक्षी सं. 3 स्ट्रेजर प्रचेजर है तथा स्ट्रेजर प्रचेजर को प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का बिना बंटवाडा कराए प्रवेश करने का कोई कानुनी अधिकार नहीं हैं। प्रार्थी का प्राइमाफैसी केस है व सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगणों को कोई नुकसान व क्षति नहीं होगी बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से प्रार्थी को भारी नुकसान व क्षति होगी जिसका मूल्यांकन नकदी में किया जाना सम्भव नहीं हैं।
6. प्रार्थना पत्र कारण विरूद्व विपक्षी दिनांक 27.05.19 को पैदा हुआ जब प्रार्थी ने विपक्षीगणों को प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का विधिक बंटवाडा करने हेतु कहा तथा विपक्षीगणों ने विधिक बंटवाडा करने हेतु मना कर दिया व प्रार्थी को विपक्षीगणों ने

धमकी दी कि उक्त आराजीयात का बिना बंटवाडा कराए हम विक्रय हस्तान्तरण कर देगें तब पैदा हुआ व पैदा होकर निरन्तर जारी हैं।

7. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी के पक्ष में व विपक्षीगणों के विरूद्व निम्न आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात को बिना बंटवाडा कराए किसी विशेष भू–भाग की भूमि को विक्रय हस्तान्तरण नहीं करें, न खुर्द–बुर्द करे, न विपक्षी सं. 1 व 2 व विपक्षी सं. 3 को बिना बंटवाडा कराए उक्त आराजीयात का कब्जा सिपूर्द करे, न प्रार्थी को अपने हिस्सें की आराजीयात से बेदखल करें, प्रार्थी को अपने हिस्से की आराजीयात का शांतिपूर्वक उपयोग – उपभोग करने देवें प्रार्थी को अपने कब्जे काश्त की आराजीयात में फसल लेने व फसल बोने में कोई रूकावट पैदा नहीं करें, विपक्षी सं. 3 स्ट्रेजर प्रचेजर है जो प्रार्थी को अपनी आराजीयात से बेदखल नहीं करें, उक्त कार्य विपक्षीगण न तो स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से करावें। मौके व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाए रखें।
8. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1, 2 एवं 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी/वादी ने आप माननीय न्यायालय में एक वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् प्रस्तुत किया है उसमें सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है, जबकि बंटवाडे के वाद–पत्र में सभी सहखातेदारों को पक्षकार बनाना आवश्यक होता है तो वाद–पत्र चलने योग्य नहीं होता है, वादी/प्रार्थी ने अपने वाद पत्र में प्रतिवादी सं. 6 व प्रतिवादी सं. 8 श्रीमती अनिता पिता भंवरलाल जी पालीवाल जो एक पक्षकार ही है उसे वाद पत्र में प्रतिवादी सं. 6 व 8 बनाये गये है, इसी तरह वाद पत्र में वर्णित आराजीयात भांडावास व चंगेडी में प्रतिवादी सं. 3, 4 व 5 व प्रतिवादी सं. 6, 7 व 8 का जो हिस्सा बताया गया है उक्त हिस्सा भी वाद पत्र में गलत दर्शाया गया हैं। इसलिए वादी का वाद पत्र सव्यय खारिज होने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात व कुल रकबा जो हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 से 8 का दर्शाया गया है वह गलत हैं।
9. प्रार्थी व विपक्षी सं. 1 व 2 की मौरूसी जायदाद होना स्वीकार है व उक्त आराजीयात पर संयुक्त रूप से विपक्षी सं. 1 व 2 का हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है यह भी स्वीकार है व उक्त आराजीयात पर संयुक्त रूप से विपक्षी सं. 1 व 2 का हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है यह भी स्वीकार है व प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का विधिक रूप से बंटवाडा मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर नहीं हुआ है यह तथ्य स्वीकार है किन्तु प्रार्थी/वादी व विपक्षीगण राजस्व रिकार्ड में हिस्से अनुसार आपसी सहमती से बंटवाडा कर अपने–अपने हिस्से पर विपक्षी सं. 1 व 2 काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। विपक्षी सं. 1 व 2 अपने हिस्से की आराजीयात पर आपसी सहमति से कब्जे काश्त होकर खेती कर रहे है व विपक्षी सं. 1 व 2 अपने हिस्से अनुसार विधिक रूप से मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा कर दिया जावें तो हमे कोई उजर एतराज नहीं हैं।
10. विपक्षी सं. 1 व 2 उक्त आराजीयात का बिना बंटवाडा करवाये अपने हिस्से की आराजीयात को विक्रय करने के लिए स्वतन्त्र है व अपने हिस्से की आराजीयात में काबिज जमीन का कब्जा भी सिपूर्द कर सकता हैं, विपक्षी सं. 1 व 2 ने विपक्षी सं. 3 के पक्ष में दिनांक 27.05.2019 को कोई विक्रय पत्र की रजिस्ट्री नहीं करवाई है यदि विपक्षी सं. 1 व 2 राजस्व रिकार्ड में अंकित अपने हिस्से को विक्रय करने के लिए स्वतन्त्र है, और जिसे विक्रय किया जाता है उसे विपक्षी सं. 1 व 2 का जो कब्जा है उसे विक्रय किये व्यक्ति को सिपूर्द कर सकता है, यदि विपक्षी अपने हिस्से को विक्रय करता है तो

प्रार्थी को कानूनी रूप से विक्रय करने पर उसे रोकने का कोई हक व अधिकार नहीं है। विपक्षी सं. 1 व 2 बिना बंटवाडा करवाये, उक्त आराजीयात का कब्जा जो विपक्षी सं. 1 व 2 का है उसे विक्रीत व्यक्ति को सिपूर्द कर सकता हैं। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात को बिना बंटवाडा करवाये अपने हिस्से की आराजीयात को रहन, बैह, बक्षीस एवं अन्य तरीके से हस्तान्तरित करने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र हैं। विपक्षी सं. 3 को दिनांक 27.05.19 को विपक्षी सं. 1 व 2 ने कोई विक्रय पत्र प्रतिवादी सं. 3 के पक्ष में सम्पादित नहीं किया हैं।

11. विपक्षी सं. 1 व 2 ने विपक्षी सं. 3 के पक्ष में कोई पंजीकृत विक्रय विलेख पंजीकृत नहीं करवाया है, किन्तु विपक्षी सं. 1 व 2 अपने हिस्से को विक्रय करने के लिए स्वतंत्र है व अपना कब्जा भी विक्रय करने वाले व्यक्ति को बिना बंटवाडा करवाया सिपूर्द कर सकता हैं। विपक्षी सं. 1 व 2 को दिनांक 27.05.19 को व आज दिनांक 21.06.19 को भी मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर उक्त वर्णित आराजीयात का बंटवाडा करवाने को तैयार हैं। प्रार्थी ने विपक्षी सं. 1 व 2 को कभी भी मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर उक्त वर्णित आराजीयात का बंटवाडा करवाने को तैयार है। प्रार्थी ने विपक्षी सं. 1 व 2 को कभी भी मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा करने हेतु नहीं कहां, जहां तक विपक्षी सं. 1 व 2 को अपना हिस्सा बिना बंटवाडा करवाये विक्रय कर सकता है जिसका कोई कानूनी रोक नहीं हैं।
12. अतः श्रीमान् से निवेदन है कि विपक्षी सं. 1 व 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात को बिना बंटवाडा करवाये राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सें को विक्रय कर सकता है व विपक्षी सं. 1 व 2 को बिना बंटवाडा करवाये राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जे अनुसार कब्जा सिपूर्द कर सकते हैं, जहां तक प्रार्थी के हिस्से की बात है तो प्रार्थी के हिस्से को विपक्षी सं. 1 व 2 विक्रय नहीं कर रहे हैं। प्रार्थी व विपक्षी सं. 1 व 2 के मध्य आपसी सहमति के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार कब्जे काश्त होकर अपने–अपने हिस्से पर कृषि कार्य कर रहे है व विपक्षी सं. 1 व 2 मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा करवाने को तैयार है जबकि प्रार्थी स्वयं उक्त वर्णित आराजीयात का बंटवाडा नहीं करवाना चाहते है, श्रीमान् से निवेदन है कि विपक्षी सं. 1 व 2 बंटवाडा करवाने हेतु तैयार है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।
13. प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का भी पेश किया जिसके तहत विपक्षी सं. 1 व 2 ने नुमाईशी विक्रय पत्र विपक्षी सं. 3 को नही कर इन्द्रादेवी पत्नी मांगीलाल जाट, प्रकाश चन्द्र पिता मांगीलाल जाट निवासीयान चंगेडी को किया जाने से इनको पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया है, प्रकरण में विपक्षी द्वारा जवाब व काउण्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की है स्थगन केवल विपक्षी सं. 3 के विरूद्ध जारी है जबकि विपक्षी सं. 3 को कोई भूमि विक्रय नहीं की है अतः विपक्षी सं. 3 का नाम हटाया जावे।
14. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 व धारा 212 रा.का.अ. पर सुना। प्रकरण में विपक्षी सं. 1 व 2 द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से इन्द्रादेवी पत्नी मांगीलाल जाट, प्रकाश चन्द्र पिता मांगीलाल जाट निवासीयान चंगेडी को विक्रय की है। जिससे पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण में विपक्षी सं. 3 के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है जबकि विपक्षी सं. 3 प्रकरण में खातेदार नहीं है, इसलिये अंतरित अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाने का निवेदन किया गया है। चूंकि वादी का वाद बंटवाडा का है जिसमें क्रेता को पक्षकार बनाया जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है जो टी.आई में भी पेश है, प्रकरण में

अस्थाई निषेधाज्ञा केवल विपक्षी सं. 3 के विरूद्ध जारी है एवं वाद भी विपक्षी सं. 3 के विरूद्ध लाया गया है। अस्थाई निषेधाज्ञा केवल विपक्षी सं. 3 के विरूद्ध जारी होने से उक्त टी.आई में क्रेता आवश्यक पक्षकार होना प्रतित नहीं होता है चूंकि क्रेता के खिलाफ टी.आई में कोई दाद भी नहीं है, क्रेता को पक्षकार बनाये जाने से प्रार्थना पत्र की पुरी प्रकृति की परिवर्तित हो जाऐगी ऐसी स्थिति में इस टी.आई में क्रेता को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। चूकि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में दाद विपक्षी सं. 3 के विरूद्ध चाही गई है इसलिये आवश्यक पक्षकार होने से विपक्षी सं. 3 का नाम हटाया नहीं जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एव विपक्षी का काउण्टर प्रार्थना पत्र दोनो ही खारिज किये जाते हैं

15. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान के टी.आई बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा नजीर RRD 1996 page 148, RRD 2004 page 494 प्रस्तुत कर अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों को अंकित कर पेश किया जाना बताया एवं प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

16. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरों का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 व 2 के नाम सह खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा बंटवाडा का वाद प्रस्तुत कर मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा किया जाने की प्रार्थना की है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की कलम सं. 6 में विपक्षी सं. 1 व 2 द्वारा नुमाईशी विक्रय पत्र विपक्षी सं. 3 के पक्ष में दिनांक 27.05.2019 को जारी होने का कथन किया है जबकि जवाब अनुसार विपक्षी सं. 1 व 2 द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि हिस्सेनुसार इन्द्रादेवी पत्नी मांगीला जाट व प्रकाश चन्द्र पिता मांगीलाल जाट निवासी चंगेडी को विक्रय करना बताया है। प्रकरण में विपक्षी सं.3 खातेदार व क्रेता नहीं है। चूंकि प्रकरण में विपक्षी सं. 1 व 2 खातेदार है एवं खातेदार को अपनी भूमि का उपयोग–उपभोग एवं बेचान करने का पुरा पुरा अधिकार है, ऐसी स्थिति में खातेदार के विरूद्ध टी.आई नही दी जा सकती है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध प्रतीत होता है।
2. *सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति–* चूंकि वाद वर्णित भूमि का खातेदार प्रार्थी एवं विपक्षी है, विपक्षी सं. 3 क्रेता व खातेदार दोनो ही नही है। ऐसी स्थिति में विपक्षी सं. 3 किसी प्रकार से रेकार्ड परिवर्तन नहीं कर सकता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित हुआ हैं। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध में साबित होते है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध में निर्णित किया जाता है।

17. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। वाद वर्णित भूमि वर्तमान में प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 व 2 के नाम पर दर्ज है। प्रकरण में विपक्षी सं. 1 व 2 द्वारा नुमाईशी विक्रय पत्र से भूमि विपक्षी सं. 3 के पक्ष में विक्रय किये जाने के अंदेशे से प्रार्थी द्वारा बंटवाडा का वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है जिसमें विपक्षी सं. 3 के विरूद्ध अंतरित

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है। चूंकि प्रकरण में विपक्षी सं. 1 व 2 द्वारा श्रीमती इन्द्रादेवी पत्नी मांगीलाल व प्रकाश चन्द्र पिता मांगीलाल को विक्रय कर दिया है। चूंकि प्रकरण में विपक्षी सं. 1 व 2 खातेदार है एवं खातेदार को अपनी भूमि के उपयोग–उपभोग का पुरा अधिकार है, विपक्षी खातेदार द्वारा अपने बहस में क्रेता को हिस्सा बेचान करने का कथन किया है, जिसके लिये विपक्षी को रोका नही जा सकता है। एवं क्रेता जिन्होने पूर्ण प्रतिफल अदा कर उक्त भूमि क्रय की है जो सद्भावी क्रेता की श्रेणी मे आता है उन्हे भी रोका जाता है तो उनके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। प्रकरण में विपक्षी सं. 3 के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है जबकि विपक्षी सं. 3 प्रकरण में न तो क्रेता है एवं न हीं खातेदार ऐसी स्थिति में विपक्षी सं. 3 के विरूद्ध टी.आई जारी किया जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किये गये है। प्रकरण में खातेदार एवं सद्भावी क्रेता के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदारों को अपूरणीय क्षति होगी। अतः पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को हटाया जाना उचित हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

–: <u>आदेश</u> :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली